

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 12.07.2026

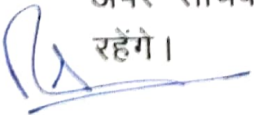
संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12430/श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.(2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना (अधिसूचना संख्या 1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12419 दिनांक 10.07.2026 द्वारा अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के रूप में अधिसूचित) को अगले आदेश तक अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12431/श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से.(2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12432/श्री अखिलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2014), अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12433/श्री मनोज कुमार रजक, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12434/श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (2017), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12424 दिनांक 10.07.2026 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार, श्री कुमार अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे।



संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12435/सुश्री सारा अशरफ, भा.प्र.से.(2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सुपौल (अधिसूचना संख्या 1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12427 दिनांक 10.07.2026 द्वारा निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के रूप में अधिसूचित) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12436/श्री तुषार कुमार, भा.प्र.से. (2023), अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर (सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या/ज्ञापांक-14/पद0-704/2025-12418/सा.प्र. दिनांक 10.07.2026 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने हेतु निदेशित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


12/7/2026
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

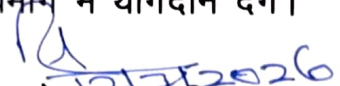
ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12436/पटना-15, दिनांक: 12.07.2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के

गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01,06, 12 एवं 14 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. स्थानांतरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की इस अधिसूचना से आच्छादित पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी उक्त धारित पद/पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन से प्रभावित वैसे भा.प्र.से. पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।


सरकार के अवर सचिव।